कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया मध्यप्रदेश

-:: निविदा ::-

इस न्यायिक जिला स्थापना पर कैंटीन का संचालन निर्धारित शर्तो के अध्याधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक ...02-02-2019 को प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर कैंटीन के ठेके हेतु खुली बोली/निलामी में सम्मिलित हो सकते हैं ।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

01. बोली/नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को रू. 5000/- अग्रिम राशि के रूप में जिला नाजिर के समक्ष अमानत राशि जमा किया जाना निलामी में भाग लेने की पूर्ववर्ती शर्त रहेगी । उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी ।
2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अन्तर्गत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा एवं कैंटीन की नियमित सफाई करानी होगी।
03. कैंटीन का ठेका जिस निविदाकर्ता का स्वीकृत किया जावेगा उसे ठेके की राशि का 3 माह की अवधि की किराये की राशि एक मुश्त अग्रिम जमा करना होगा ।
04. कैंटीन की ठेके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर दतिया के पास जमा करनी होगी ।
05. कैंटीन का मासिक ठेका राशि रूपये 17000/- (शब्दों में सत्रह हजार रूपये) है । उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की बोली लगाने वाले व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जावेगी ।
06. कैंटीन संचालित करने वाले ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे की शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो ।
07. कैंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर लगवाकर पृथक से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा ।
08. कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक अथवा मिलावटी नहीं होगी, जाँच में यदि खाद्य सामग्री मिलावटी अथवा अमानक पाई जाती है, तो कैंटीन का ठेका निरस्त किया जा सकेगा ।
09. कैंटीन में किसी प्रकार के मादक पदार्थ, तम्बाकू, गुटखा आदि का विक्रय नहीं किया जावेगा ।
10. कैंटीन ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा ।
11. कैंटीन का ठेका आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार जिला न्यायाधीश दतिया को होगा।
12. कैंटीन ठेके की अवधि कुल दो वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिये होगी ।
10. कैंटीन ठेका स्वमेव समाप्त करने की दशा में अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
14. कैंटीन के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला पंजीबद्ध तथा दतिया न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए एवं उसके विरूद्ध न्यायालय में कोई सिविल वाद भी लंबित नहीं होना चाहिए ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दतिया, (म0प्र0)